



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

M vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref.सं० / AUBA064 / MGGAU / 2024-2025 /

Date: 28.12.24

—: सम्बद्धता आदेश :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि0-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AUBA064 एस0आर0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सिकन्दरपुर, ग्वालियर रोड, आगरा द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन के क्रम में एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा निर्गत विगत 04 वर्षों में प्राप्त मान्यता तथा विश्वविद्यालय निरन्तर प्राप्त सम्बद्धता एवं कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक-29.11.2024 के आधार पर मा0 कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में निम्न पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2025-2026 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बी0 ए0 एम0 एस0	60 सीट

सम्बद्धता की शर्तें-

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था द्वारा सत्र 2025-2026 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन0सी0आई0 एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा सत्र 2025-2026 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा यदि सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा।
- संस्था को एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा कालेज का निरीक्षण कभी भी कराया जा सकता है।
- एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव




संख्या- 1076 / सं० / AUBA064 / MGGAU / 2024-2025

दिनांक:- 28.12.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, प्लॉट नं०-टी-19 प्रथम व द्वितीय तल, ब्लॉक-4 धन्वन्तरी भवन, रोड नं०-66, पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली 110026
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. परीक्षा नियंत्रक, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वावेद्यालय, गोरखपुर।
8. प्रधानाचार्य/संचालक, एस०आर०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सिकन्दरपुर, ग्वालियर रोड, आगरा।
9. निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव